न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 108/2015
तारीख दायर : 26.10.2015

अनवान

1. मु0 नाराणी पत्नि रामचन्द्र जाति अहीर निवासी बरून्दनी तहसील माण्डलगढ।

प्रार्थीया....

बनाम

1. बाली पुत्री काना पत्नि हीरा जाति अहीर निवासी बरून्दनी हाल बांगला की झूपडिया, नन्दराय तहसील कोटड़ी।
2. मोडी पुत्री काना पत्नि छोटु जाति अहीर निवासी बरून्दनी हाल बांगला की झूपडिया, नन्दराय तहसील कोटड़ी।
3. मु0 श्रृंगारी पत्नि काना जाति अहीर निवासी बरून्दनी हाल बांगला की झूपडिया, नन्दराय तहसील कोटड़ी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण....

उपस्थित :–

1. श्री सावरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थीया)
2. श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली (अधिवक्ता विपक्षीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं सपठित धारा 151 जा0 दी0

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.12.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 26.10.2015 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा दिनांक 22.01.2014 को अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 03 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो कि प्र0 स0 16/2014 से दर्ज हुआ। बाद कार्यवाही प्रार्थीया का सम्मन हासिल होना मानकर उसके विरूद्ध दिनांक 13.05.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश हुआ दावे में विपक्षी संख्या 3 श्रृंगारी भी विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में होने से न्यायालय श्रीमान् में हाजिर अदालत नही हुई दिनांक 29.09.2015 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से दावा डिक्री कर दिया गया। प्रार्थीया के दावे के सम्मन की प्रोपर तामिल नही हुई प्रार्थीया को तामिलन कुलिन्दा द्वारा जो सम्मन दिये गये थे उसमें केवल मात्र यह कहकर दिये कि आपके हस्ताक्षर कर दो तब प्रार्थीया ने तामिलन कुलिन्दा ने प्रार्थीया को यह जानकारी नही दी कि उक्त सम्मन किसके है व कितनी तारीख को किस न्यायालय में उपस्थित होना है। प्रार्थीया अनपढ एवं ग्रामीण महिला एवं कानून की जानकारी नही होने से उक्त वादपत्र के सम्बन्ध में नही समझ सकी व सम्मन में किस दिनांक को न्यायालय में हाजिर होना उसके बारे में दिनांक अंकित नही की गई थी व दावे की नकले भी प्रार्थीया को प्राप्त नही हुई थी। तामिलन कुलिन्दा वाद प्र0 स0 16/14 राजस्व वाद के समन लेकर प्रार्थीया के पास केवल मात्र हस्ताक्षर करवाने आया था किसी भी प्रकार के सम्मन प्रार्थीया को नही दिये व नही सम्मन पर तारीख पेशी अंकित कर प्रार्थीया को आगामी पेशी में न्यायालय के समक्ष नियत होने की सूचना एवं जानकारी दी। प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिला होने से कानून की जानकारी नही है सम्मन की नकल एवं वाद की नकल प्रार्थीया को नही दी तथा दावे की जानकारी नही होने से प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष उपंसजाति हेतु पेशी की

उपखण्ड अधिकारी

कारी नही होने से प्रकरण संख्या 16/2014 राजस्व वाद की कार्यवाही में न्यायालय के क्ष हाजिर नही हो सकी। इस प्रकार प्रार्थीया पर सम्मन की तामिल सम्यक रूप से होना कदापि नही माना जा सकता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीया पर सम्मन की तामिल प्रोपर नही मानी जा सकती है एवं प्रार्थीया की अनुपस्थिति का कारण पर्याप्त एवं माकूल है। सम्मन न्यायालय में पेश है जिस पर प्रार्थीया के केवल मात्र हस्ताक्षर है किस दिनांक को न्यायालय में हाजिर होना है सम्मन पर तारीख भी अंकित नही है। साथ ही यह भी निवेदन है कि विपक्षीगण विपक्षी संख्या 1 से 3 ने भी प्रार्थीया को उनके द्वारा दिये गये दावे की जानकारी नही होने दी ओर जिस तरह से वादी/विपक्षी संख्या 1 व 2 ने विपक्षी संख्या 3 से मिलकर दुरभि संधि में डिक्री पारित की है। उसमें प्रार्थीया को पूर्ण रूप से आंशका है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने तामिल होने का असत्य पृष्ठाकन करवा उसके विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की है। वादपत्र कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों से सम्बन्धित है वादग्रस्त कृषि भूमि पर वर्षो से प्रार्थीया का भौतिक कब्जा होकर काश्त करती चली आ रही है। विपक्षी संख्या 1 से 3 अवैध कब्जा होकर काश्त करती चली आ रही है। विपक्षी संख्या 1 से 3 अवैध रूप से दुरभि संधि कर प्रार्थीया विधवा होने से उसको परेशान करने की नियत से लडाई झगडा कर उक्त कृषि भूमि का अवैध रूप से हथिया कर रहन विक्रय करने पर आमादा है। जबकि प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 से 3 को अच्छी तरह से रखना चाहती है एवं विपक्षी संख्या 3 की सेवा चाकरी करना चाहती है व विपक्षी संख्या 1 व 2 शादी सुदा होकर काफी वर्षो से अपने ससुराल में ही रहकर जीवन यापन कर रही है एवं प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 1 व 2 को सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सामाजिक परम्पराओ का निर्वहन मायरा काज करिवार में कपडे वगैरह भी चढाया गया है। यदि एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त नही किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 से 2 प्रार्थीया को उसके कब्जे काश्त की कृषि भूमि से उक्त एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2015 की आड में बेदखल कर सकती है अथवा उसको बाधा या अवरोध पहुंचा सकती है। नेसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी दोनो पक्षकारों को सुनकर पारित किया गया निर्णय व न्याय ही श्रेष्ठ है तथा मामले में प्रार्थीया को सुनकर तथा उसको प्रतिरक्षा व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर यदि निर्णय पारित किया जाता है तभी वह पक्षकारों के मध्य निहित वास्तविक विवाद का सम्यक निस्तारण होगा अतः एवं उक्त हालात व परिस्थितियों में न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित एक पक्षिय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2015 को अपास्त कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित एवं न्यायानुकूल है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उक्त डिक्री के आधार पर सर्वप्रथम दिनांक 15.10.2015 को प्रार्थीया की कृषि भुमि पर आकर अपना क्लेम किया तथा प्रार्थीया के साथ गाली गलौच किया व अपना कब्जा व दखल हटाने की धमकिया दी जिस पर प्रार्थीया ने समस्त तथ्यों का पता कर न्यायालय में पहुंचकर पता करने पर उक्त प्रकरण संख्या 16/2014 कि उक्त 2 के नाम पर होने की जानकारी मिली तब उक्त निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपियां न्यायालय से निकलवाकर अन्दर मियाद 30 दिन में उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र वांछित कोर्ट फिस पर प्रस्तुत है। प्रार्थना की संतुष्टि में शपथपत्र पेश है। विपक्षीगण को सूचनार्थ आवेदन की नकल मय सम्मन तलवाना प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के विरूद्ध प्रकरण संख्या 16/2014 राजस्व वाद में एक पक्षिय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2015 को अपास्त फरमाया जावें तथा प्र0 स0 16/2014 राजस्व वाद को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश फरमाया जाकर प्रार्थीया को प्रतिरक्षा प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

दिनांक 26.10.2015 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन भेज तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 22.03.2017 को अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में मौ संख्या 3 श्रृंगारी पत्नि काना अहीर निवासी बरून्दनी हाल बांगला की झूपड़िया, न्दराय तहसील कोटड़ी की मृत्यु हो जाने एवं प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 व 2 वारिस होने एवं अन्य कोई वारिस नही होने से विपक्षी संख्या 3 का नाम हटाये जाने बाबत् निवेदन किया, जिसपर अधिवक्ता विपक्षीगण ने कोई आपत्ति नही होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया।

दिनांक 02.08.2017 को विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता कैलाश चनद्र तम्बोली ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थनापत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार है न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रकरण संख्या 16/2014 में दिनांक 29.09.2015 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है दिनांक 13.05.2014 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय श्रीमान् द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के बाद आगामी तारीख पेशीयां दिनांक 27.08.2014, 09.09.2014, 27.10.2014, 24.12.2015, 11.05.2015, 04.08.2015, 25.08.2015, 16.09.2015, 29.09.2015 नियत की जाती रही है। प्रतिवादीयां, प्रार्थीया को सुनवाई का समुचित पर्याप्त अवसर दिया गया है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 सर्वथा गलत होकर अस्वीकार है। दावे की सम्मन प्रोपर तामिल हुए है। तामिल कुलिन्दा ने प्रोपर तामिल करवायी है। प्रार्थीया को कानून की समस्त जानकारी है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 5, 6, 7, 8, 9 व 10 गलत होकर अस्वीकार है।एवं विशेष कथन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र मियाद बाहर है प्रार्थीया को प्रार्थनापत्र पेश करने की लोकस स्टेन्डाई नही है। प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से चलने योग्य नही है। प्रार्थनापत्र पेश करने की कब नोइयत पेदा हुई है। वाद हेतु अंकित नही है। प्रार्थना पत्र खारिज काबिल है। अतः प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर आये दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया, बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गम्भीरता से मनन किया वादपत्र संख्या 16/2014 में दिये गये सम्मन की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसे सम्मन तामिल हुआ था किन्तु यह स्पष्ट है कि उसे सम्मन पर किस तारीख को न्यायालय में उपस्थित होना है, यह अंकित नही था सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 6 में स्पष्ट है कि प्रतिवादी के उपसंजात होने का दिवस नियत होना चाहिए। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। डिक्री एवं निर्णय को निरस्त किया जाकर पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु तारीख पेशी पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी दिनांक 24.01.2023 को पेश हो।

आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं मूलवाद संख्या 16/2014 के साथ संलग्न रहें।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ